



उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-7

संख्या-426/2026/II/1375856/2026/001-CN-1843664-6-7099-827-2024

लखनऊ: दिनांक 25 जून, 2026

शुद्धि-पत्र

कृपया जनपद झांसी की पुलिस लाइन में ट्रांजिट हास्टल (एस+12) के 04 टावरों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि ₹0 5466.20 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि से ₹0 19,13,17,000/- (रूपये उन्नीस करोड़ तेरह लाख सत्रह हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में गृह (पुलिस) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-349/2025/-/001-CN-1843664-6-7099-827-2024 दिनांक 06.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके नियम व शर्त संख्या-1 पर निम्नवत् अंकित है:-

“निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था से उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्य 18 माह में पूर्ण जाने तथा कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी दशा में कार्यों की लागत में कोई पुनरीक्षण न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिए जाय।”

2. उक्त के संबंध में मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल) ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग लखनऊ के पत्र दिनांक 09.04.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि ई0पी0सी0 मोड के कार्यों हेतु ठेकेदार तथा परामर्शी के चयनार्थ गवर्निंग बाडी की बैठक दिनांक 15.02.2024 में किये गये निर्णय के अनुसार 12 मंजिल तक भवन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु 18 माह की अवधि एवं 12 मंजिला से अधिक भवन की परियोजनाओं हेतु 24 माह की समयावधि निर्धारित है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में 13 मंजिलों के 04 ब्लॉक प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत संदर्भित शासनादेश में कार्य पूर्ण करने की समयावधि 18 माह से 24 माह करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध के क्रम में प्रश्नगत कार्य को पूर्ण किये जाने की समयावधि 18 माह के स्थान पर 24 माह किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त आदेश दिनांक 06.05.2025 के नियम व शर्त क्रमांक-1 पर कार्य पूर्ण करने की समयावधि 18 माह के स्थान पर 24 माह पढ़ा व समझा जाए।

3. शासनादेश संख्या-349/2025/-/001-CN-1843664-6-7099-827-2024 दिनांक 06.05.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव,

संख्या-426/2026/II/1375856/2026/001-CN-1843664-6-7099-827-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
- 7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9- मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
12- गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,
ह0/-
दीपक पटेल
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।